/ /कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)/ /

।। आदेश ।।

क्रमांक/आब./ठेका/1248 /2020 दुर्ग, दिनांक 25.3.2020

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/1511/2020/वा.क.(आब.)/पांच दिनांक 21.03.2020 द्वारा नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रेस्टोरेंट/होटल बार को दिनांक 23.03.2020 से 25.03.2020 तक बंद करने हेतु आदेश प्रसारित किये गये थे, जिसको छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/1527/2020/वा.क.(आब.)/पांच दिनांक 25.03.2020 के परिपालन में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अंकित आनंद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला–दुर्ग, दिनांक 26.03.2020 से 31.03.2020 तक जिले में संचालित समस्त एफ.एल.–2, एफ.एल. 3 (होटल बार), एफ.एल.–3(क) को बंद रखे जाने हेतु आदेशित करता हूं।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे ।

(अंकित आनंद)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/1248 /2020 दुर्ग, दिनांक 25.3.2020

प्रतिलिपिः–

(1) आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(3) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(4) उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर संभाग की ओर सूचनार्थ ।
(5) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
(6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
(7) सहायक संचालक जनसंपर्क जिला–दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित कराने हेतु अग्रेषित।
(8) सहायक जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग शहर पूर्व/पश्चिम, भिलाई क्रमांक–1/3 एवं धमधा मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(9) आबकारी उपनिरीक्षक नगर वृत्त दुर्ग शहर पूर्व/पश्चिम, भिलाई क्रमांक–1/2/3/4, दुर्ग आंतरिक दक्षिण/उत्तर/धमधा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
(10) श्रीमती वन्दना अग्रवाल, श्री संतोष कुमार ठाकुर, श्री गणेश सिंह, श्री जसप्रीत सिंह, श्रीमती ममता माने, श्री कुमानदास साहू, श्री राजपाल सिंह, श्री श्याम नारायण यादव, श्री रतन सिंह, श्री जगदीश प्रसाद राठौर, श्रीमति कुलवंत कौर, श्री राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी, श्री जुल्फीकार अली, श्री प्रदीप योहन्नान, श्री संजय अग्रवाल, श्रीमती भावना यादव, श्री धर्मेन्द्र पाठक, श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती दुर्गावती पाण्डेय, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री शरण बिहारी अग्रवाल, श्री मोहित कुमार साव, पलविन्दर कौर, एफ.एल.–3 लायसेंसी एवं श्री निखिल अरोरा, श्री अजय डालमिया, श्रीमती निवेदिता गुप्ता, श्रीमती मीरा सिंह, एफ.एल.–2 लायसेंसी वर्ष 2019–20 जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
(11) श्री इंद्रजीत सिंह आ. स्व. सरदार सुरेन्दर सिंह लायसेंसी– एफ.एल.–3(क) वर्ष 2019–20 जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

(अंकित आनंद)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)